"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छ. ग./दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 20] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 20 मई 2011—वैशाख 30, शक 1933

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं असलम खान आत्मज भगोलीराम, उम्र 60 वर्ष, निवासी एल. आई. जी. 23/एल, देवरीखुर्द हाउसिंग बोर्ड चौक, बिलासपुर, तहसील व जिला बिलासपुर (छ. ग.) का हूं. यह कि मैं दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे बिलासपुर में मेकेनिकल विभाग में सीनियर डी. एम. ई. के अधीनस्थ मेल ड्राइव्हर के पद पर कार्यरत हूं. यह कि मेरे सेवा संबंधी समस्त अभिलेखों में मेरा नाम भोगराम वल्द स्व. भगोली दर्ज है एवं प्रयुक्त होता चला आ रहा है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर असलम खान रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अतः अब मुझे असलम खान आत्मज स्व. भगोलीराम के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व समस्त अभिलेखों में दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
भोगराम
आत्मज-स्व. भगोलीराम
निवासी-एल. आई. जी. 23/एल
देवरीखुर्द हाउसिंग बोर्ड चौक, बिलासपुर
तह. व जिला-बिलासपुर (छ. ग.)

नया नाम
असलम खान
आत्मज-स्व. भगोलीराम
निवासी-एल. आई. जी. 23/एल
देवरीखुर्द हाउसिंग बोर्ड चौक, बिलासपुर
तह. व जिला-बिलासपुर (छ. ग.)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) सरायपाली, जिला-महासमुन्द (छ. ग.)

सरायपाली, दिनांक 15 मार्च 2011

क्रमांक 220/क/वा-1/अविअ/11.—चूंकि प्रमुख ट्रस्टी श्री दुर्गा मंदिर सेवा समिति सरायपाली द्वारा श्री रामचन्द्र अग्रवाल सरायपाली द्वारा ग्राम सरायपाली में श्री दुर्गा मंदिर सेवा समिति ट्रस्ट की स्थापना कर ट्रस्ट का सुचारू रूप से संचालन व व्यवस्था किये जाने हेतु समिति का गठन कर ट्रस्ट बनाये जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है जिसकी सुनवाई न्यायालय में दिनांक 16-5-11 को नियत किया गया है,

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन पत्र के संबंध में कोई भी व्यक्ति को आपत्ति/दावा प्रस्तुत करना या सुझाव देना हो तो वे इस सूचना पत्र के तहत नियत अवधि में इस न्यायालय में लिखित में दो प्रतियों में आपत्ति/दावा या सुझाव स्वयं या अपने अभिभाषक के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं. नियत अवधि पश्चात् प्राप्त आपत्ति/दावा या सुझाब पर कोई विचार नहीं किया जायेगा.

अनुसूची

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम पता व संपत्ति का विवरण)

1.	पब्लिक ट्रस्ट का नाम व पता	:	श्री दुर्गा मंदिर सेवा समिति सरायपाली, प. ह. नं. 14, रा. नि. मं. एवं तहसील सरायपाली, जिला- महासमुंद (छ. ग.)
2.	चल संपत्ति	:	नगद-10001.00 रु. मात्र
3.	अचल संपत्ति	:	सरायपाली में स्थित भूमि ख. नं. 682/2 का भाग कुल क्षेत्रफल 16868 वर्गफुट

अरविंद शर्मा,
पंजीयक.

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, लोक न्यास, राजनांदगांव (छ. ग.)

राजनांदगांव, दिनांक 4 मई 2011

प्रारूप क्र. 5
[देखे नियम 5]

[छत्तीसगढ़ लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) और छत्तीसगढ़ लोक न्यास नियम 1962 के नियम 5 (1) के द्वारा]

लोक न्यासों के पंजीयक राजनांदगांव जिला राजनांदगांव के समक्ष

क्रमांक/583/अ. वि. अ/पं. लो. न्या./11.—यत: मुझे यह प्रतीत होता है कि, अनुसूची में विनिर्दिष्ट चल संपत्ति 3,57,336 छ. ग. लोक न्यास अधिनियम 1951 (1951 का 30) की -2 की उपधारा (4) के आशय के अधीन लोक न्यास का गठन करती है :-

अब इसलिए मै, संजय अग्रवाल, लोक न्यासों का पंजीयक राजनांदगांव, जिला- राजनांदगांव मेरे न्यायालय में दिनांक 4-5-2011 कि दिवस बुधवार पर कथित अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (1) में यथा अपेक्षित मामले में जांच करने को प्रस्तावित करता हूं.

एतद्द्वारा सूचना पत्र दिया जाता है कि कथित न्यास या संपत्ति का कोई न्यासी या कार्यकारी न्यासी या इसमें हितबद्ध कोई व्यक्ति और आपत्ति या सुझाव देने का आशय रखने वाले को दो प्रतियों में इस सूचना पत्र के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए, और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिश: अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जायेगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम, पता और संपत्ति का विवरण)

1.	लोक न्यास का नाम व पता	:	अजीज मेमोरियल चेरिटेबल ट्रस्ट, बल्देवबाग, राजनांदगांव (छ. ग.)
2.	चल संपत्ति	:	रु. 3,57,366.00 मात्र.
3.	अचल संपत्ति	:	निरंक.

संजय अग्रवाल,
अनुविभागीय अधिकारी.

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, सार्वजनिक न्यास, रायपुर

रायपुर, दिनांक 29 अप्रैल 2011

प्रकरण क्र. ब/113 (1) वर्ष 2010-11.—आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक डॉ. दीपक शर्मा निवासी टिकरापारा रायपुर ने श्री रासबिहारी विजय कृष्ण देवोत्तर धर्मार्थ ट्रस्ट, दीपक हाउस, जल गृह मार्ग, टिकरापारा रायपुर के नाम से छ. ग. लोक न्यास अधिनियम 1951 की धारा-4 (1) के अनुसार निम्नलिखित अनुसूची में दर्शायी गई संपत्ति को पब्लिक ट्रस्ट के रूप में पंजीयन कराने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है.

यदि किसी भी व्यक्ति को ट्रस्ट अथवा संपत्ति में अभिरुचि हो और ट्रस्ट के संबंध में कोई आक्षेप करने की इच्छा हो या सुझाव देना हो तो वे इस सूचना निकलने की एक माह की अवधि में इस न्यायालय में अपने लिखित व्यक्तव्य की दो प्रतियां प्रस्तुत करें और पेशी के दिन स्वत: या अपने अधिवक्ता अथवा एजेंट के माध्यम से उपस्थित होवें. निर्धारित तिथि के पश्चात् प्रस्तुत किये गये आक्षेपों पर किसी भी प्रकार का विचार नहीं किया जावेगा.

उक्त आवेदन पत्र की सुनवाई दिनांक 10-6-2011 को होगी.

अनुसूची

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम पता व संपत्ति का विवरण)

1.	पब्लिक ट्रस्ट का नाम व पता	:	"श्री रासबिहारी विजय कृष्ण देवोत्तर धर्मार्थ ट्रस्ट, दीपक हाउस, जल गृह मार्ग, टिकरापारा रायपुर".
2.	चल संपत्ति	:	नगद 5100/- रु. मात्र.
3.	अचल संपत्ति	:	निरंक.

मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 26-4-2011 को जारी.

तारन प्रकाश सिन्हा,
अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक.

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, साजा, जिला- दुर्ग

साजा, दिनांक 28 अप्रैल 2011

क्रमांक 3952/प्र-1/अ. वि. अ./2011.—एतद्द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि ग्राम बेरला, प. ह. नं. 15, तहसील बेरला, जिला दुर्ग में जनकल्याण, धार्मिक कार्य एवं विभिन्न जनकल्याण कार्य करने हेतु पंजीयन कराने हेतु आवेदक अजय कुमार जैन सचिव, श्री सीमंधर स्वामी जिनालय एवं जिनकुशल सुरि दादाबाड़ी ट्रस्ट बेरला, तहसील बेरला का आवेदन पत्र प्राप्त हुआ हैं. उक्त संबंध में इस न्यायालय द्वारा कार्यवाही की जा रही है.

इस संबंध में जिस किसी भी व्यक्ति को आपत्ति या उजरदावा पेश करना हो तो दिनांक 16-5-2011 तक पेश कर सकते हैं नियत तिथि के पश्चात् प्राप्त आपत्ति या दावा पर विचार नहीं किया जावेगा.

यह उद्घोषणा आज दिनांक 25-4-2011 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की सील से जारी किया गया.

तनुजा सलाम,
अनुविभागीय अधिकारी.

अन्य सूचनाएं

कार्यालय, संयुक्त पंजीयक, सहकारी समितियां, दुर्ग (छ. ग.)

दुर्ग, दिनांक 26 मार्च 2011

क्रमांक/संपंदु/परिसमापन/2010-11/400.— कार्यालयीन आदेश क्रमांक/संपंदु/परिसमापन/2011/18/दुर्ग, दिनांक 06-01-2011 के द्वारा ब्लास्ट फर्नेस्ट को-आपरेटिव्ह केन्टीन बी. एस. पी. भिलाई, पं. क्र. 1805 के परिसमापक श्री नीरज खत्री सहकारिता विस्तार अधिकारी को परिसमापक नियुक्त किया गया था. उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए श्री एम. के. पाल, सहकारिता विस्तार अधिकारी, दुर्ग को परिसमापक नियुक्त किया जाता है.

यह आदेश आज दिनांक 11-03-2011 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

जॉन खलखो,
सहायक पंजीयक.

कार्यालय, संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर (छ. ग.)

बिलासपुर, दिनांक 25 मार्च 2011

छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के अंतर्गत

क्रमांक /परिसमापन/2011/526.— इस कार्यालय का आदेश क्र./परिसमापन/2008/778, बिलासपुर, दिनांक 05-04-2008 के तहत् दीपांजली सहकारी प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार मर्यादित चांटीडीह, बिलासपुर, पं. क्र. 3918 दिनांक 03-10-1998, विकासखण्ड-बिल्हा, जिला-बिलासपुर (छ. ग.) को छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर 70 (1) के तहत् श्रीमती शोभा बन्दे, सहकारी निरीक्षक, बिलासपुर को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है.

परिसमापक द्वारा परिसमापन का संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न कर अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, एन. कुजूर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर (छ. ग.) सहकारिता विभाग के आदेश क्र./एफ-5-1-99 पन्द्रह-1/सी. दिनांक 26-07-1999 के अंतर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित है का उपयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के तहत संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था निगम निकाय (बाडी कारपोरेट) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 25-03-2011 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुहर से जारी किया गया.

एन. कुजूर,
सहायक पंजीयक.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित -2011.